कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

पृष्ठभूमि

उत्तराखण्ड सरकार के वित्त पर यह प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन के सापेक्ष बजट एवं राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में निर्धारित लक्ष्यों तथा प्रभावी प्रवृत्तियों एवं सरकार की प्राप्तियों एवं संवितरणों की संरचनात्मक रूपरेखा के आकलन के दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया गया है।

31 मार्च 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के लेखापरीक्षित लेखों और विभिन्न स्रोतों जैसे राज्य सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सर्वेक्षण एवं जनगणना पर आधारित, यह प्रतिवेदन राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की एक विश्लेषणात्मक समीक्षा तीन अध्यायों में उपलब्ध कराता है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा 31 मार्च 2015 को उत्तराखण्ड सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह मुख्य राजकोषीय समग्रों, वचनबद्ध व्ययों, ऋणपद्धति इत्यादि की प्रवृत्तियों और रूपरेखाओं पर एक गहन अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

अध्याय 2 विनियोग लेखे पर आधारित है और यह विनियोगों का अनुदान-वार विवरण एवं वह ढंग, जिस प्रकार सेवा प्रदाता विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को प्रबन्धित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय 3 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा किये गये विभिन्न प्रतिवेदनीय आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन तथा लेखाओं के अप्रस्तुतीकरण का विवरण प्रदान करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

अध्याय-1

राज्य सरकार के वित्त

वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य, राजस्व घाटे को लगभग शून्य (₹ 13 करोड़) पर लाने में समर्थ था। फलस्वरूप राजस्व घाटा वर्ष 2011-12 (₹ 716 करोड़), वर्ष 2012-13 (₹ 1,787 करोड़) तथा 2013-14 (₹ 1,105 करोड़) के दौरान आधिक्य में परिवर्तित हो गया। चालू वर्ष के दौरान राजस्व आधिक्य ₹ 917 करोड़ के राजस्व घाटे में बदल गया। वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13 के दौरान राजकोषीय घाटा 3.5 *प्रतिशत* की उचित सीमा के अंदर था, तथा 2013-14 के दौरान स रा घ उ का तीन *प्रतिशत* रहा किन्तु चालू वर्ष 2014-15 के दौरान राजकोषीय घाटा ₹ 5826 करोड़ (स रा घ उ का 4.20 *प्रतिशत*) रहा जो तेरहवें वित्त आयोग (ते वि आ) द्वारा निर्धारित संस्तुति के अनुरूप एफ आर बी एम एक्ट, 2005 *(मार्च 2011 मे आंशिक रुप से संशोधित)* में निर्धारित मानक तीन *प्रतिशत* (पुनरीक्षित) लक्ष्य से ऊपर रहा।

चालू वर्ष के दौरान, सरकार वर्ष 2013-14 की तुलना में 33.05 *प्रतिशत* अधिक निधियों का पूंजीकरण करने में सफल रही ।

सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों तथा सहकारी संस्थाओं में उत्तराखण्ड सरकार के निवेश पर औसत प्रतिफल गत पाँच वर्षों में लगभग नगण्य (0.004 से 0.02 *प्रतिशत*

तक) था जबकि उत्तराखण्ड सरकार ने इस निवेश के लिए उधार ली गई निधियों पर 7.73 *प्रतिशत* की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया।

सरकार को निवेशों में धन की बेहतर उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी कम्पनियों/निगमों की पहचान करनी चाहिए, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफल देते हों और अपने उच्च लागत उधारियों के प्रतिस्थापन को सिद्ध करें।

ऋण-स रा घ उ के अनुपात ने वर्ष 2010-11 से 2013-14 के दौरान घटती हुई प्रवृत्ति दर्शाई, अर्थात उत्तराखंड के सम्बन्ध में वर्ष 2010-11 एवं आगे के वर्षो में ते वि आ द्वारा निर्धारित 38.50 *प्रतिशत* के लक्ष्य की तुलना में यह 25.72 *प्रतिशत* से घटकर 23.41 *प्रतिशत* हो गया। तथापि, चालू वर्ष में इसमें 0.72 *प्रतिशत* की मामूली बढ़त हुई तथा यह 24.13 *प्रतिशत* रहा जो निर्धारित लक्ष्य 37.20 *प्रतिशत* के अंतर्गत रहा ।

अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण

वर्ष 2014-15 के दौरान चार अनुदानों तथा एक विनियोग में ₹ 1,922.82 करोड़ का आधिक्य था जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 205 के अधीन नियमित किया जाना जरूरी था।

मार्च 2015 माह के दौरान राज्य सरकार द्वारा आहरित धनराशि ₹ 60.25 करोड़ को बजट अनुदान के व्यपगत होने से बचाने के लिये जमाशीर्ष में जमा कर दिया गया।

समेकित निधि के अर्न्तगत 16 मामलों में ₹ 194.15 करोड़ की पर्याप्त धनराशि अनुमोदित की गयी और समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति नही हुई थी।

वर्ष 2005-14 से सम्बन्धित ₹ 1,10,66.40 करोड़ के आधिक्य व्यय को अभी तक राज्य विधानमण्डल द्वारा नियमित किया जाना शेष था।

अध्याय-3

वित्तीय प्रतिवेदन

विभागीय अधिकारियों ने मार्च 2015 तक विशिष्ट *उद्देश्यों* के लिये दिये गये ₹ 240.94 करोड़ के अनुदान से सम्बन्धित 262 उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार (ले. एवं हक.), उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नहीं किये थे। उक्त प्रमाण पत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था कि प्राप्तकर्ता ने अनुदानों का उपभोग अभिप्रेत उद्देश्यों के लिये कर लिया है। विभागीय प्रमुखों द्वारा उन निकायों और प्राधिकरणों, जिन्हे पूर्व वर्ष में कुल ₹ 10 लाख या इससे अधिक के ऋण अथवा अनुदान दिये गये है, के विवरण महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड को प्रस्तुत नही किये जा रहे थे। इस प्रकार संस्थान, जिनकी लेखापरीक्षा सी ए जी द्वारा की जा सकती है, को चिन्हित नही किया जा पा रहा था।

केन्द्र व राज्य योजनाओं के अर्न्तगत प्राप्ति व व्यय की पर्याप्त धनराशि के लघुशीर्ष '800-अन्य व्यय' और '800-अन्य प्राप्तियाँ' में दर्शाया गया था, जो कि राज्य वित्त लेखे 2014-15 में पृथक रूप से वर्णित नही किये गये थे, जिस कारण वित्तीय प्रतिवेदन की पारदर्शिता प्रभावित हो रही थी।